

पत्रांक-श्रम क० सं०-06/2018-325

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत सहायक निदेशक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया(जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का स्वीकृत्यादेश संलग्न) के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) 01 आंशिक निःशक्तता के मामले में ₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल ₹ 137500/- (एक लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	सहायक निदेशक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का तथ्या, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० खोभारी राम, 30, स्व० लाली राम, अनु० जाति	श्रीमती इन्दू देवी(पत्नी)	128/24.10. 2018	ग्रा०-बकवा, पो०-पतिलार, था०-चोतरवा, प्र०-बगहा-1, प० चम्पारण	32703274 58	सेन्ट्रल बैंक, CBIN0280029	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	श्री सिकन्दर राम, 27, श्री रामचन्द्र राम, अनु० जाति	स्वयं	तदैव	ग्रा०-जमुनिया द० टोला, पो०-झमरिया किरुन, था०-जगदीशपुर, प्र०-नौतन, प० चम्पारण	10022210 30092327	Uttar bihar gramin bank, CBINOR10001	₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)	आंशिक निःशक्तता, राज मिस्त्री मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 137500/-

(एक लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-06/2018 के पृष्ठ-19/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-06/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-06/2018-325


पटना, दिनांक :-१५-०९-१९


प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 137500/- (एक लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित


(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका


(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।